जल क्षेत्र में जनमानस के अधिकार

पुष्पेंद्र कुमार अग्रवाल
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

जल मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। जल मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं उदाहरणतः, घरेलू उपयोग, सिंचाई, जलशक्ति उत्पादन, इत्यादि की पूर्ति के लिए एक आवश्यक संसाधन है। जल के बिना मानव जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वच्छ जल संसाधनों की अनुपलब्धता एवं जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग के कारण देश के अधिकांश भागों में जनमानस को जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है।

भारतीय संविधान, में जल को मानव जीवन की मूल आवश्यकता माना गया है, तथा कुछ सीमाओं के अंतर्गत इसे राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है । भारतीय संविधान के अनुसार देश में जल का उपयोग राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान के अंतर्गत किसी राज्य विशेष में आने वाले जल संसाधनों के संबंध में कानून बनाने का पूर्णाधिकार संबन्धित राज्य को प्रदान किया गया है। भारत जैसे पारंपरिक समाज में जल पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार न मानते हुये इसे समाज की सार्वजनिक संपदा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसा ''रजलाधिकार'' शब्द के अंतर्गत, जनमानस को जल के उपयोग हेतु प्रदान किए गए विशेषाधिकार समाहित हैं।

भारतीय संविधान में जल को पारंपरिक रूप से सामाजिक उपभोग की वस्तु एवं मानव जीवन की मूल आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से मूल रूप में से यह स्वीकार किया गया है, कि कोई भी व्यक्ति जो प्यासा हो, उसे जल के उपभोग के लिए मना नहीं किया जा सकता, चाहे उसकी आय, क्रय शक्ति एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो। वर्तमान परिपेक्ष्य में भी यदि देखा जाए तो हमारी संस्कृति में किसी भी आगंतुक अतिथि को उसके आगमन पर सर्वप्रथम जल ही प्रदान किया जाता है । भारतीय संस्कृति में जल को यह विशेषाधिकार प्राप्त होने का मुख्य कारण ''आवश्यक सेवा'' या ''लोक सेवा'' सिद्धांत पर आधारित था। वर्तमान काल में जल की उपलब्धता में कमी जैसे प्रमुख कारणों के कारण, उत्पादन एवं संरक्षण, उपभोग्यता एवं आवश्यकता के साथ–2 मांग आधारित परिवर्तनीय मूल्यों के परिणामस्वरूप, जल एवं उससे संबन्धित सेवाएँ, धीरे–2 महंगी से मूल्यवान उपभोग्यता संपदा के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं।

हमारे देश में जल के क्षेत्र में उपलब्ध रिपेरियन तंत्र पद्धति के अनुसार किसी भी व्यक्ति विशेष को, जिसकी स्वयं की भूमि किसी नदी या सरिता के तट पर स्थित हो, अपनी आवश्यकतानुसार नदी या सरिता से यथोचित मात्रा में जल प्राप्त करने का पूर्णाधिकार है। इस अधिकार के साथ–2 उस व्यक्ति विशेष का यह कर्तव्य भी सुनिश्चित किया गया है कि, वह अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध भूमि मार्ग से होकर प्रवाहित होकर जाने वाले नदी जल को, उसकी गुणवत्ता एवं मात्रा में बिना किसी खास के, प्रवाहित होने देने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

जल संबंधी अधिकारों पर विचार करने की आवश्यकता उस अवस्था में अधिक होती है जब उपलब्ध जल संसाधनों की कमी हो, तथा उपयोगकर्ताओं के रूढ व्यवहार के कारण उनके जल संबंधी अधिकारों एवं पात्रता को परिभाषित करना आवश्यक हो। भारतीय ईसमेंट अधिनियम (1882) के अनुसार सरकार को प्राकृतिक वाहिकाओं, प्राकृतिक झीलों, तालों, में प्रवाहित होने वाली नदियों,

सरिताओं एवं शासकीय खर्च पर निर्मित की गई किसी भी वाहिका के जल के एकत्रीकरण, अवरोध, एवं वितरण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

भारतीय ईसमेंट अधिनियम (1882) के अनुसार, किसी भी भूमि के मालिक को अपनी भूमि की सीमाओं के भूगर्भ में उपलब्ध भूजल की निकासी, एकत्रीकरण एवं उपयोग का पूर्णाधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के अनुसार भूस्वामी को अपनी भूमि से उपलब्ध निशुल्क भूजल निकासी एवं अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके उपयोग का पूर्णाधिकार है। यध्यपि इस अधिनियम के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे एक समृद्ध कृषक गहरे कुएं खोदकर वृहत्त मात्रा में जल निकासी कर ले। इसके परिणामस्वरूप निकटवर्ती कृषकों के संवैधानिक अधिकारों का हवास होगा। इस प्रकार के परिणाम भूजल की विभिन्न स्थलों से निकासी किए जाने से भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भूजल में औध्योगिक अपशिष्ट, मलजल, एवं रासायनिक खादों एवं जीवनाशकों इत्यादि के अनियंत्रित निस्तारण के कारण भूजल की गुणवत्ता में भी अवनति हो सकती है। भूजल की गुणवत्ता एवं परिमाण के नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा एक मोडेल बिल लाया गया है। जिसके अनुसार राज्य सरकारों को भूजल से अतिरिक्त निकासी के लिए संरचनाओं के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अभी तक यह अधिनियम कुछ राज्यों में ही लागू हो सका है। देश के भू जल संसाधनों को संरक्षित करने एवं भू जल से अनियमित निकासी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय भू जल बोर्ड का गठन किया गया है।

अंत में यह ध्यान देने योग्य विषय है कि भारतीय संविधान के अनुसार यध्यपि जल राज्य का विषय है तथापि संसद की संप्रभुता के कारण इसे पूर्णतः राज्य विषय कहना उपयुक्त नहीं है। संसद द्वारा अभी तक केन्द्रीय सूचि कि एंट्री 56 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का अधिक उपयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की अधिकांश नदियां अंतर्राज्जीय होने के कारण अधिकांश नदियों का जल मुख्यतः केंद्र विषय के अंतर्गत आता है, क्योंकि कोई भी राज्य सूचि 17 के अनुप्रयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कदापि नहीं कर सकता यदि उसके प्रयोग से निकटवर्ती राज्यों के जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तथा इस संबंध में निकटवर्ती राज्य द्वारा मतभेद या शिकायत दर्ज की गई हो।

उपयोगकर्ताओं को भी जल संबंधी अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता से अधिक जल की निकासी कर जल का दुरुप्रयोग न करें। उन्हें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उनके द्वारा जल की अत्यधिक निकासी किए जाने से अन्य उपयोगकर्ताओं के हितों में हानी न हो।

हिंदी द्वारा सारे भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है।

–महर्षि दयानन्द सरस्वती